न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 37 / 2024

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मिश्रीदेवी पत्नी नथाराम जाति माली, निवासी नथोणियों का वास, कुडला तहसील बाड़मेर, जिला बाड़मेर		1. आम्बसिंह पुत्र भंवरसिंह 2. प्रभुसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत, निवासी ओमनगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शिव 4. शाखा प्रबंधक, आरएमजीबी शाखा भीयाड़ 5. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :— अधिवक्ता वादीनी — श्री बृजमोहन कुमावत।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 29.10.2025

वादीनी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादीनी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं वादीनी अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल धारवीकला के ग्राम ओमनगर के खेत खसरा नम्बर 334 रकबा 7.0415 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है —

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	मिश्रीदेवी पत्नी नथाराम कौम माली सा. नथानियों का वास बाड़मेर खातेदार रहन एसबीआई शाखा शिव	ओमनगर	334	3.5207	बा.दो.	1.30	लाल
2	आम्बसिंह 1/2 प्रभुसिंह 1/2 पि. भंवरसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा भींयाड़	ओमनगर	334	3.5208	बा.दो.	1.30	हरा

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:46:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)